REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2023

गांधी जी के शैक्षिक विचार

डॉ. अलका सिंह
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग,
डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश –

गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के पूर्व केवल सैद्धान्तिक पक्ष को ही महत्व दिया जाता था। प्रचलित शिक्षा में क्रियात्मक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज भारत में शिक्षा का अत्यधिक भौतिकीकरण, देश व मानवता के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जिसका ज्वलन्त उदाहरण– देश में हो रहे नर संहार और नित्य नये अस्त्र–शस्त्रों का निर्माण है। देश में व्याप्त किताबी शिक्षा प्रणाली ने बेकारी को जन्म दिया है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन जनता के हृदय को पवित्र करके एक शोषण विहिन व सभी दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है। और सफल भी हो रहा है।

शब्द कुंजी –बुनियादी शिक्षा, सैद्धान्तिक, विद्यालय ,पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन .....।

प्रस्तावना –

बेसिक शिक्षा के मुख्य सिद्धांतों को स्वीकार करने के उपरान्त वर्धा सम्मेलन ने डॉ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की समिति ने एक विस्तृत शिक्षाक्रम तैयार किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा निरीक्षक परीक्षा आदि पर चर्चा करने के साथ परिशिष्ट में कताई– बुनाई कि पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किया। समिति ने मूलोद्योग गणित मातृभाषा, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, राष्ट्रभाषा और संगीत के अध्ययन के विषय के रूप में प्रस्तावित किया । इस समिति की रिपोर्ट को सन् 1932 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में रिपोर्ट पर बहुत वाद–विवाद हुआ। प्रथम तीन नियमों को स्वीकृत कर ली गई किन्तु चतुर्थ नियम पारित नहीं हो सका। इस योजना को क्रियान्वित करेन के लिए अप्रैल सन् 1939 ई. में सेवा ग्राम में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का निर्माण किया गया। इस संघ ने बुनियादी शिक्षा के प्रसार में बहुत योग दिया। बेसिक शिक्षा की योजना को सन् 1938 में उन प्रान्तों में लागू कर दिया गया। जहाँ कांग्रेसी मंत्रीमंडल की स्थापना हो प्रान्तों की इस क्षेत्र में रूचि देखकर केन्द्रीय सरकार ने भी इस ओर कदम बढ़ाया। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद ने नई योजना पर विचार करने के लिए बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बी. जी. खेर समितियों ने वर्धा योजना का अध्ययन किया और उसमें सुधार करने के लिए कई सुझाव दिये जिनमें मुख्य निम्नलिखित है :–

1. वर्धा शिक्षा ग्रामीण में लागू होनी चाहिए।
2. बेसिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए।
3. पाँचवी कक्षा के बाद बच्चों को दूसरें प्रकार के पाठशालाओं में बालकों को जाने की छूट होनी चाहिए।

4. शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य हो और उसकी लिपि अरबी और देवनागरी दोनों हो।
5. शिक्षा में बाहा परीक्षा की आवश्यकता नहीं आन्तरिक परीक्षा ही पर्याप्त है।

केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद ने खेर समितियों की सिफारिशों को मान लिया और सार्जेन्ट शिक्षा योजना में उनकों क्रियान्वित किया गया। भारत – सरकार ने तथा प्रान्तीय सरकारों ने खेर समितियों की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया। सन् 1938 में वर्धा में विद्या मन्दिर प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हुई। इसी वर्ष उड़ीसा उत्तरप्रदेश कश्मीर बम्बई और म.प्र. में इन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हुई तथा बेसिक एजूकेशन बोर्ड का भी निर्माण हुआ। पुराने पाठशालाओं को बेसिक पाठशालाओं में परिवर्तित किया गया। बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया। संयुक्त प्रान्त में सात अल्पकालीन शिक्षा शिवरों की भी स्थापना हुई।

विषयवस्तु –

गांधी जी का दर्शन आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व प्रयोजनवाद का समन्वयवादी प्रारूप प्रस्तुत करता है। इस सन्दर्भ में डॉ. राधाकृष्णन जी ने अपना विचार व्यक्त करते हुये कहा है :– "अपने जीवन एवं उपदेश द्वारा उन्होनें मूल्यों का यह प्रभाव रखा जिसको यह देश युगों से मानता रहा ऐसे मूल्य जो केवल राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय नहीं वरन् सार्वभौमिक एवं शाश्वत है।"

"साक्षरता ने तो शिक्षा का अन्त है और न आरम्भ यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा स्त्री व पुरूष को शिक्षित किया जा सकता है।" गांधी जी मानते थे कि "शिक्षा बालक और मुनष्य के शरीर मास्तिष्क और में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों को चहुँमुखी विकास है।" गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है – सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति है।

अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'सत्यम शिवम् सुन्दरम्' से बालक का साक्षात्कार कराना है ।

गांधी जी का विद्यालय के सम्बन्ध में विचार

विद्यालय के संबंध में गांधी जी का विचार–प्रयोजन से मिलता– –जुलता था। गांधी जी विद्यालय को एक ऐसा सामुदायों का केन्द्र बनाना चाहते थे, जिसमें बालक का चहुँमुखी विकास हो। गांधीजी बालकों को पुस्तकों के बोझ तले कभी भी लादनें के पक्ष में नहीं थे।

गांधी जी विद्यालय को ऐसा कारखाना मानते थे जिसमें छात्र रूपी कच्चा माल से उत्तम नागरिक स्वरूप तैयार माल का निर्माण हो सके जो भविष्य में हस्त– कला को विकास कर सके व देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकें ।

गांधी जी का विद्यालय भवन को निर्माण प्रकृति की गोद में हो ऐसा – कभी नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि विद्यालय का निर्माण चरित्रवान व आदर्श अध्यापकों के निर्देशन में उनकी परिछाया में निर्मित हो विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी निर्भीक होकर अपनी योग्यता के अनुसार अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। विद्यालय को विद्या का आलय होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिसमें विद्यार्थी स्वच्छंद होकर निर्भीत होकर अपनी शिक्षकों से मित्रवत व्यवहार रख कर अपनी योग्यता के अनुसार अपना चहुँमुखी विकास कर सके ।

पाठ्यक्रम संबंधी विचार

गांधीजी की शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा, नई तालिम, नई शिक्षा निति आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान है तथा इसका उद्देश्य बालक को कार्य, प्रयोग एवं खोज के द्वारा उसकी शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसका अध्ययन करके बालक भविष्य में आत्मनिर्भर व समाज का एक उपयोगी अंग सिद्ध हो सके।

गांधीजी ने अपने क्रिया–प्रधान पाठ्यक्रम में मातृभाषा, बेसिक क्राफ्ट, गणित, समाज शास्त्र, सामान्य विज्ञान, कला तथा संगीत आदि विषयों को प्रमुख स्थान दिया है। गांधी जी का मानना था कि कक्षा पहली से पाँचवीं तक के सभी बालक तथा बालिकाओं के लिए एक सा पाठ्यक्रम होना चाहिए तत्पश्चात् माध्यमिक स्तर में

बालकों को बेसिक क्राफ्ट की तथा बालिकाओं को गृह विज्ञान अलग अलग विषयों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक कक्षा स्तर तक ही सिमित है। उनका पाठ्यक्रम भी इसी स्तर के लिए है। गांधी जी का मानना था "पाठ्यक्रम बालक के लिये होता है न कि बालक पाठ्यक्रम के लिये ।"

गांधी के अनुसार शिक्षण विधि

गांधी जी शिक्षा के उद्देश्य प्रचलित शिक्षा के उद्देश्यों से भिन्न थें प्रचलित शिक्षा विषय प्रधान है। गांधीजी ने इसका विरोध किया इसको नकारात्मक माना और स्थानीय उद्योगो को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु माना । गांधी जी मानते थे कि बालक को किसी भी स्थानीय उद्योग के माध्यम से शिक्षा दी जाये जिससे उसके शरीर, आत्मा, व मन का विकास हो सके और वह भविष्य में सभी दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होने अपनी शिक्षण पद्धति में निम्न लिखित सिद्धांतों को प्रमुख स्थान दिया– –

1. मस्तिष्क की शिक्षा के लिए शारीरिक कार्यों का उचित प्रशिक्षण दिया – जायें ।
2. लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाय ।
3. वर्णमाला के अक्षर सिखाने से पहले ड्राइंग सिखाई जायें ।
4. करके सीखने का अवसर प्रदान किये जायें।
5. अनुभव के द्वारा सीखने को प्रोत्साहन किया जायें।
6. सीखने की प्रक्रिया से समन्वय स्थापित किया जाये ।
7. बालकों को कर के सिखने के लिये प्रोत्साहित किया जाय ।

उक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त बालक को स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाते समय गांधी जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में सहयोगी क्रिया नियोजन– यथार्थता पहलकदमी तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में सिद्धांतों पर भी बल दिया।

गांधी जी के अनुसार अनुशासन :–

गांधी जी छात्रों के लिए अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे किन्तु दयनात्मक अनुशासन के विरोधी थे। उन्होने प्रभावात्मक तथा मुक्तायत्मक अनुशासन के मिश्रित स्वरूप के पक्ष में विचार व्यक्त किये। उनका कहना था कि थोपा हुआ अनुशासन क्षणिक होता है। छात्रों को अनुशासित करने के लिए अध्यापक के व्यवहार को संयमित व अनुशासित होना अनिवार्य है। यदि शिक्षक इन गुणों से विभूषित होंगे तो विद्यार्थी स्वयं अनुशासित हो जायेंगे ।

निष्कर्ष –

गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के पूर्व प्रचलित शिक्षा प्रणाली में अध्यापक व छात्र के मध्य कोई संपर्क नहीं होता था । अध्यापक व्यख्यान देते थे और छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहते थे। इस दूषित शिक्षण पद्धति को 22 और 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा सम्मेलन में जिसमें डॉ. जाकिर हुरोन, खुशाल तलकशी शाह, डॉ. सैयद महमूद, विनोबा भावे, प्रफुल्ल चन्द्र राय, काका कालेलकर, रविशंकर शुक्ल जी, श्रीमती आशा देवी इसी तरह से 80 शिक्षाविद् एकत्र हुयें, और गांधी जी के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में उन्होने अपने विचार व्यक्त किये। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की। वर्धा सम्मलेन में पारित प्रस्ताव के आधार पर एक शिक्षा योजना प्रस्तुत करने के लिए डा. जाकिर हुसैन के सभापतित्व में एक समिति की नियुक्ति की गई और इस प्रक्रिया के उपरांत अप्रैल 1938 में हरिपुरा में सम्पन्न कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर कर लिया गया और बेसिक शिक्षा को पार्टी के कार्यक्रम में समाविष्ट कर लिया गया ।

वर्तमान में भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ हमारी राष्ट्रीय अखण्डता एवं सांस्कृतिक एकात को सुरक्षित रख सके देश में रचनात्मक नव–परिवर्तन ला सकें । गांधी जी के उपरोक्त विचार को व्यावहारिक रूप में बदलने के लिए उनके शैक्षिक सिद्धांतों व आदर्शों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में स्थान प्रदान करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अवश्यभावी हैं।

शिक्षा में व्यवहारिकता लाने के लिए गांधीजी के शिक्षा दर्शन का विश्लेषण वर्तमान समाज में आवश्यक हो गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- सर्वोदय महात्मा गांधी (1915 पृ. 1) महात्मा गांधी और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम प्रो. भगवती शरण।
- शिक्षा के दार्शनिक आधार – डॉ. गिरीश पचौरी – (पृ. 452–466 सूर्या पब्लिकेशन)
- गांधी और हमारा समय कु. शैलेन्द्र (2001) पूर्वोदय प्रकाशन नई दिल्ली पृ. 10
- हिन्द स्वराज्य की प्रांसांगिकता –शर्मा अमित (2005) कौटिल्य प्रकाशन नई दिल्ली पृ.–35
- गांधी विचार – सिंह रामजी (1995) –जे. एन.यू. ग्रंथागार नई दिल्ली

डॉ. अलका सिंह
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग,
डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा बिलासपुर (छ.ग.)